Land [illegible] - 5 - 6

न्यायालय उपजिलाधिकारी गोला जनपद गोरखपुर

मु० नं० 98/IST20150531071466 / धारा 143 ज०वि०अधि०

श्रीमती ज्ञान कुमारी सिंह ना० महा० सिं०

बनाम

गाँव सभा

बाबत मौजा बमुरा बुजुर्ग टप्पा कुरौट परगना धुरियापार तहसील गोला जनपद गोरखपुर।

1- नकल आदेश उपजिलाधिकारी गोला दिनांक 11-9-15 की प्रमाणित प्रति संलग्न है

2- नकल रिपोर्ट लेखपाल दिनांक 8-8-15 की छायाप्रति

3- नकल रिपोर्ट रा०नि० दिनांक 10-8-15 की छायाप्रति

4- नकल रिपोर्ट तहसीलदार गोला दिनांक 12-8-15 की छाया प्रति संलग्न है

कार्यालय उप जिलाधिकारी गोरखपुर

धारा 143 से सम्बन्धित (नियमावली)नियम 135

ग्राम	भूमिधर का नाम व पिता का नाम पता	खसरा गाटा खतौनी संख्या	खाता का क्षेत्रफल	माल गुजारी	गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल (क) खाता संख्या	(ख) क्षेत्रफल	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता हो	विशेष विवरण
	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम नकुआ [illegible] अमौर दुर्गापार [illegible] गोरखपुर	श्री मती ज्ञानकुमारी सिंह कन्या महाविद्यालय नकुआ पुरवा गोरखपुर द्वारा शिक्षा सेवा संस्थान नकुआ पुरवा गोरखपुर आदि प्रबन्धक बेचन सिंह पुत्र रामसूरत सिंह	265	1.761	46.80	265 मि०	0.510 हे०	महोदय, ग्राम- नकुआ ग० त० [illegible] गोरखपुर के गाटा सं० 265 / 1.761 हे० में श्री मती ज्ञानकुमारी सिंह कन्या महाविद्यालय नकुआ, पुरवा, गोरखपुर द्वारा शिक्षा सेवा संस्थान नकुआ, पुरवा, गोरखपुर और प्रबंधक बेचन सिंह पुत्र रामसूरत सिंह आदि के नाम बतौर सहखातेदार भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि के 0.510 हे० भूमि पर श्री मती ज्ञानकुमारी सिंह कन्या महाविद्यालय नकुआ, पुरवा, गोरखपुर की बिल्डिंग एवं बाउन्ड्रीवाल पूर्व से ही निर्मित है, भूमि पूर्णतया अकृषिक हो चुकी है, जिसका अकृषिक भूमि घोषित होना न्यायसंगत है। अतः ग्राम नकुआ तप्पा- अमौर में स्थित गाटा सं० 265 मि० / 0.510 हे० भूमि अकृषिक घोषित करने हेतु रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित।	

[illegible]
2/4/16
11-2-16
24 [illegible]
2 [illegible]
[illegible]

सत्य-प्रतिलिपि
12-2-16
उप जिलाधिकारी सदर
गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता [illegible]
मुलानाकर्ता [illegible]

महोदय,
ओ० आ० संस्तुति सहित [illegible]
अवलोकनार्थ सादर [illegible]
[illegible]
[illegible]

महोदय, संस्तुति सहित अवलोकनार्थ प्रेषित। [illegible] 08-15

न्यायालय उप जिलाधिकारी गोला गोरखपुर।

98 /15 टी02015053107/1466

...ती ज्ञानकुमारी सिंह क0महा0वि0 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम
बनाम बावत मौजा–बथुआ बुजुर्ग, तप्पा–कुरमौट,
...वसभा परगना–धुरियापार, तहसील–गोला, जिला–गोरखपुर।

आदेश

प्रस्तुत वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आराजी निजाई श्रीमती ज्ञानकुमारी सिंह कन्या महाविद्यालय बथुआ पुरवा, गोरखपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त आराजी पर भवन बनवाकर गत तीन वर्षो से महाविद्यालय के रूप में संचालित हो राहा है। उसका प्रयोग अकृषिक भूमि के रूप में हो रहा है। उक्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज निरस्त कर अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त करने का निवेदन किया गया है जिसके सम्बन्ध में तहसील से जॉच आख्या प्राप्त की गयी। तहसील की जॉच आख्या से स्पष्ट है कि आराजी नं0265मि0 रकबा 0.510हे0 भूमि पर श्रीमती ज्ञानकुमारी देवी कन्या महाविद्यालय बथुआ, पुरवा, गोरखपुर की विल्डिंग एवं बाउण्ड्रीवाल पूर्व से ही निर्मित है। उक्त भूमि पूर्णतः अकृषिक हो चुकी है जिसको अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। मैं तहसील की जॉच आख्या से पूर्ण सहमत हूँ।

अतः ग्राम–बथुआ बुजुर्ग, तप्पा–कुरमौट, परगना–धुरियापार के आराजी नं0 265मि0 रकबा 0.510हे0 भूमि को अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक गोला को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

11-9-15
(नन्दलाल यति),
उप जिलाधिकारी,
गोला–गोरखपुर।